न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :— 35/2014 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गंगादत्त जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला चीतावान, मालाखेड़ा दरवाजा बाहर, अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/प्रार्थी

बनाम

1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रमेशचन्द जाति ब्राह्मण,
2. राजकुमार पुत्र स्व0 रमेश चन्द जाति ब्राह्मण,
3. मनीष पुत्र स्व0 रमेशचन्द जाति ब्राह्मण,
4. ज्योति पुत्री स्व0 रमेशचन्द जाति ब्राह्मण,
5. श्रीमती शीलादेवी पत्नि स्व0 रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासीयान मौहल्ला गली चीतावान, मालाखेड़ा दरवाजा बाहर, अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण

उपस्थित :—
1. श्री गणपतसिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मदनसिंह, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—28.03.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 16 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 18 रकबा 61 ऐयर, 19 रकबा 55 ऐयर वाके ग्राम भाखेड़ा बने हैं । उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं उसके भाई मृतक रमेशचन्द के दोनों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से उन्हें खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये हैं । वादी व स्व0 श्री रमेश चन्द के मुश्तर्का होल्डिंग कब्जे काश्त का इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 में काश्त का इन्द्राज दोनों नम्बरान पर बहिस्से बराबर मौजूद है । प्रार्थी राज्य सेवा में रहा है और अपने भाई रमेशचन्द पर पूर्ण विश्वास करता था । दोनों मुश्तर्का में काश्त ताहाल तक करते आ रहे थे । वादी के भाई स्व0 रमेशचन्द की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण व उसके वारिसान ने वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त का हाल ही में फरवरी

2013 को विरोध किया और कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत की और कहा कि जमीन हमारे पिता अकेले की है । अब हम तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की जिसमें स्व0 रमेशचन्द ने बमिल्लत राजस्व कर्मचारियान बन्दोबस्त करके तन्हा अपने नाम खातेदारी विवादित आराजी की करा ली । प्रतिवादीगण असल के पक्ष में इन्तकाल विरासत हो गया । प्रतिवादीगण ने वादी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर दिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 26.09.2014 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 26.09.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 26.09.2014 के आदेश की अपील पेश की है जिसमें साबिक ख0 नं0 16, 17, 18, 19 व हाल खसरा नम्बर का विवाद है । आर.टी.एक्ट के समय से ही हमारा कब्जा काश्त है । अपीलांट व रेस्पो0 दोनों भाई हैं । रेस्पो0 ने अपने आपको पूर्व से ही आराजी का खतोदार दर्ज करवा लिया । हमारा 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है । सम्वत् 2029–32 में मेरा 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त दर्ज है । सम्वत् 2030 की गिरदावरी का अवलोकन करवाया । ख0 नं0 16 व 17 की खसरा गिरदावरी में सुरेन्द्र कुमार का नाम दर्ज है, काश्त दर्ज है । मौके पर हमारा कब्जा है । रेस्पो0 विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः रेस्पो0 को पाबन्द करें कि वे मेरे कब्जे काश्त की आराजी में दखलंदाजी नहीं करें । साथ ही उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी का दिनांक 17.9.1970 को मालिक जालिमसिंह पुत्र नारायण था । दि0 17.9.1970 को रेस्पो0 के पिता रमेश ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदा है । बयनामा पत्रावली पर उपलब्ध है । हमारे नाम नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक हो गया । अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है । यदि खसरा गिरदावरी रमेश के नाम दर्ज है तो हमारा ये कहना है कि 1970 में जब हमने रजिस्टर्ड बयनामा से आराजी खरीदी है तो इनका (अपीलांट) का नाम कैसे आ गया । मेरा ये कहना है कि अपीलांट राजस्व विभाग में नौक़री करते थे । रमेशचन्द की मृत्यु के बाद उसके वारिसान रेकार्ड पर आ गये । सम्वत् 2012 का मौका पर्चा पढ़ाया । किसका कब्जा है । तब हमारे नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ है । विवादित आराजी पर आज भी हम काबिज है । फर्जकारी करके सुरेन्द्र ने अपना नाम लिखवा लिया है । इन्तकाल सं0 153 से रमेश को खातेदारी मिली है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में तथा तहत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दिये गये विस्तृत विवेचन के आधार पर यह माना है कि विवादित आराजी दिनांक 17.9.1970 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा रेस्पो0 द्वारा खरीद की गई है जिसकी खातेदारी का नामान्तकरण भी रमेशचन्द के नाम दर्ज हो गया है । रमेशचन्द की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम विवादित आराजी का नामान्तकरण दर्ज हो चुका है तथा खरीद से आदिनांक तक राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रतिवादीगण / रेस्पो0 के पक्ष में जो मानी गयी है, वह उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिजी योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दि0 26.09.2014 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर